

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/71/2017

प्रवेश तिथि

03-05-2017

निर्णय दिनांक

09-05-2018

01- जैकमदीन पुत्र रूजदार जाति मेव निवासी ग्राम बेराबास तह0 रामगढ जिला अलवर

अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ  
दिनांक 22.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0  
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 250/2017

उपस्थित:-

01-श्री रामवीर सिंह नरुका

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 22.03.2017 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को ग्राम बेराबास की सरकारी गैर मुमकिन बेहड भूमि आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 3.04 है0 मे से 1.00 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ज सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बेराबास की सरकारी गैर मुमकिन बेहड भूमि आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 3.04 है0 मे से 1.00 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलाण्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 22.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 03.05.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 02.05.2017 में कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का ऊंटवाल द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार )

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)